Process of Making Old Age Pension

***1164.** **SH. AMARJEET DHANDA, M.L.A:** Will the Minister of State for Social Justice and Empowerment be pleased to state:-

a) whether it is a fact that the process of making of old age pension is so complicated that the eligible people are unable to get pension till date in State;

b) whether it is also a fact that with the connivance of some employees of concerned department the ineligible persons are being able to get old age pension in State; and

c) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to ease the process of making old age pension?

OM PRAKASH YADAV **MINISTER OF STATE FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**

a) No, Sir. The applicant can apply for Old Age Samman Allowance by uploading the related documents through CSC/Antyodaya centre. After that, he/she has to visit the office of concerned DSWO on the predetermined date for verification of documents once. In case documents are found correct during verification, Old Age Samman Allowance is sanctioned. Further, the said scheme has also been included in the list of essential services by the department as per mandate of the Right to Services Act, 2014 whereby time limit for sanctioning the new case of Old Age Samman Allowance is maximum of 60 days.

b) No, Sir.

c) The Government has linked the application process to the Parivar Pehchan Patra (PPP) and the need for documentation and verification by the concerned District Social Welfare Officer will be eliminated once data on PPP is authenticated.

<u>वृद्वावस्था पैंशन बनाने की प्रक्रिया</u>

*1164. **श्री अमरजीत ढांडा, एम.एल.ए.;** क्या सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्री कृपया बताएंगे कि:—

(क) क्या राज्य में वृद्वावस्था पैंशन बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आज तक योग्य व्यक्ति पैंशन लेने में असमर्थ है;

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि राज्य में संबंधित विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से अयोग्य व्यक्ति वृद्वावस्था पैंशन लेने के लिए योग्य हो रहे हैं; तथा

(ग) यदि हां, तो क्या वृद्वावस्था पैंशन बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है ?

औम प्रकाश यादव **राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग**

क) नहीं, श्रीमान् जी। आवेदक सी0एस0सी0/अंत्योदय केंद्र के माध्यम से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करते हुए वृद्वावस्था सम्मान भत्ता के लिए आवेदन कर सकता है। तदोउपरान्त, उसे केवल एक बार दस्तावेजों के सत्यापन हेतू पूर्व निर्धारित तिथि को संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जाना पड़ता है। यदि सत्यापन के दौरान दस्तावेज सही पाये जाते है तो वृद्वावस्था सम्मान भत्ता स्वीकृत कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा इस योजना को सेवा के अधिकार अधिनियम, 2014 के प्रावधान अनुसार आवश्यक सेवाओं की सूची में भी शामिल किया गया है, जिसमें वृद्वावस्था सम्मान भत्ते के नये केसों की स्वीकृति हेतू अधिकतम 60 दिन की समय सीमा है।

ख) नहीं, श्रीमान् जी।

ग) सरकार द्वारा ओवदन प्रक्रिया को "परिवार पहचान पत्र (पी0पी0पी0)" के साथ जोड़ दिया गया है तथा पी0पी0पी0 पर एक बार डेटा प्रमाणित होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा दस्तावेज और सत्यापन की आवश्यकता समाप्त हो जायेगी।